96

उत्तराखण्ड शासन
राजस्व अनुभाग–2
संख्याः /XVIII(II)/2014–20(01)/2014
देहरादूनः दिनांकः 25 जून, 2014

कार्यालय ज्ञाप

भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 को समाप्त करते हुए भारत सरकार द्वारा नया **भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013** प्रख्यापित किया गया है। इस अधिनियम में भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को प्रारम्भ करने के पूर्व धारा–4 से 9 तक सामाजिक घातकता का आंकलन आवश्यक किया गया है।

2– अतः उक्त भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा–4–6 तक अर्न्तनिहित प्राविधानों के अन्तर्गत जिले में सम्बन्धित अर्जन निकाय से भूमि अधिग्रहण का आशय पत्र प्राप्त होने पर सामाजिक समाघात और लोक प्रयोजन के अवधारण के लिए निम्नवत समिति का गठन किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं–

1.	सम्बन्धित उप जिलाधिकारी –	अध्यक्ष
2.	सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी –	सदस्य
3.	जिलाधिकारी द्वारा नामित सम्बन्धित क्षेत्र से एक विषय विशेषज्ञ/स्वैच्छिक संगठन के प्रतिनिधि –	सदस्य
4.	सम्बन्धित ग्राम के प्रधान एवं क्षेत्र पंचायत सदस्य –	सदस्य
5.	सम्बन्धित राजस्व उप निरीक्षक/लेखपाल –	सदस्य

उपरोक्त समिति द्वारा गठित समाजिक समाघात आंकलन लोक प्रयोजन का अवधारण रिपोर्ट सम्यक् प्रकाशन हेतु जिलाधिकारी को उपलब्ध करायी जायेगी।

(भास्करानन्द)
सचिव।

संख्या-1875(1)/XVIII(II)/2014 एवं तद्दिनांक।
प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. निजी सचिव, मा0 राजस्व मंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
4. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
5. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड देहरादून।
6. आयुक्त, गढवाल/कुमांऊ मण्डल, पौड़ी/नैनीताल।
7. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. निदेशक,सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग,उत्तराखण्ड।
9. निदेशक, एन0आई0सी0,सचिवालय परिसर,देहरादून/गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(संतोष बडोनी)
उप सचिव।